आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

REC Limited | आरईसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम) / (A Government of India Enterprise)
Regd. Office: Core-4, SCOPE Complex, 7, Lodhi Road, New Delhi - 110003
Corporate Office: Plot No. I-4, Near IFFCO Chowk Metro Station, Sector-29, Gurugram - 122001 (Haryana)
Tel: +91 124 444 1300 | Website: www.recindia.nic.in
CIN : L40101DL1969GOI005095 | GST No.: 06AAACR4512R3Z3

G20
भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

एसईसी-1/187(2)/2024/1570 **दिनांक: 23 जनवरी, 2024**

लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), **मुंबई - ४०० ०५१**	**कॉर्पोरेट संबंध विभाग,** बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, **मुंबई - ४०० ००१**
स्क्रिप कोड-RECLTD	**स्क्रिप कोड-532955**
Listing Department, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra kurla Complex, Bandra (East), **Mumbai-400 051**	**Corporate Relationship Department,** BSE Limited 1st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, **Mumbai - 400 001**
Scrip Code-RECLTD	**Scrip Code-532955**

विषय: 23 जनवरी, 2024 को आयोजित बोर्ड की बैठक के परिणाम

महोदय/महोदया,

सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 की अनुसूची III के साथ पठित विनियम 30 के प्रावधानों के अनुपालन में, यह सूचित किया जाता है कि आरईसी लिमिटेड के निदेशक मण्डल ने 23 जनवरी, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर विचार किया और मंजूरी दी:

1. 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही और अवधि के लिए कंपनी के **अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम (स्टैंडअलोन और समेकित)**, जिनकी समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और कंपनी के निदेशक मण्डल द्वारा 23 जनवरी 2024 को हुई उनकी बैठकों में अनुमोदित किया गया है। उक्त वित्तीय परिणाम कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक मैसर्स कैलाश चंद जैन एंड कंपनी और मैसर्स एससीवी एंड कंपनी एलएलपी द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन हैं। वित्तीय परिणाम और उसकी सीमित समीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति **अनुलग्नक-I** के रूप में संलग्न है।

2. 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त अवधि के लिए **स्पेशल पर्पज वित्तीय विवरण (स्टैंडअलोन और समेकित)**, जिनकी समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और कंपनी के निदेशक मण्डल द्वारा 23 जनवरी, 2024 को हुई बैठक में अनुमोदित किया गया है। कंपनी और इसकी होल्डिंग कंपनी के फंड जुटाने के कार्यक्रमों के संबंध में वित्तीय जानकारी शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। स्पेशल पर्पज वित्तीय विवरण और उसकी सीमित समीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति भी **अनुलग्नक-I** के रूप में संलग्न है।

3. टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित सफल बोलीदाताओं को आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी, आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) द्वारा वर्तमान में आयोजित छह अनुषंगी कंपनियों की संपूर्ण शेयरधारिता की **बिक्री और हस्तांतरण**। अन्य अपेक्षित विवरण **अनुलग्नक-2** के रूप में संलग्न हैं।

4. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित पूर्वी क्षेत्र विस्तार योजना-XXXIX परियोजना के लिए पारेषण सेवा प्रदाता (टीएसपी) के रूप में सफल बोलीदाता के चयन के लिए आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी) की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी के रूप में **परियोजना-विशिष्ट स्पेशल पर्पज व्हीकल को निगमित** किया गया।

बोर्ड की बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई और दोपहर 2 बजे समाप्त हुई।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

धन्यवाद,

भवदीय,

Jyoti Shubhra Amitabh

(जे. एस. अमिताभ)
कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव

संलग्न: ए/ए

अनुलग्नक-I

कैलाश चंद जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
819, लक्ष्मी दीप बिल्डिंग
लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर,
नई दिल्ली-110092

एससीवी एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
बी-41, पंचशील एन्क्लेव,
नई दिल्ली-110017

---

31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की समीक्षा रिपोर्ट और विनियम 33 और विनियम 52 के अनुसार आरईसी लिमिटेड के 01 अप्रैल, 2023 से 31 दिसंबर, 2023 की अवधि के लिए वर्ष-दर-तिथि के परिणाम सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, यथासंशोधित।

निदेशक मण्डल,
आरईसी लिमिटेड
कोर-IV, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

1. हमने 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए **आरईसी लिमिटेड** ("कंपनी") के अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों और 01 अप्रैल, 2023 से 31 दिसंबर, 2023 ("विवरण") की अवधि के लिए वर्ष-दर-तिथि परिणामों के विवरण की समीक्षा की है जिसे कंपनी द्वारा सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 और विनियम 52 की आवश्यकता के अनुसार प्रस्तुत किया जा रहा है, जैसा कि संशोधित ("सूचीबद्ध विनियम") है।

2. यह विवरण, जो कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है और कंपनी के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित है, भारतीय लेखा मानक 34 'अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग' ("इंड एएस 34") में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित, संशोधित ("अधिनियम") इसके तहत जारी प्रासंगिक नियमों और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित है। हमारी जिम्मेदारी हमारी समीक्षा के आधार पर बयानों पर निष्कर्ष जारी करना है।

3. हमने द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी मानक ऑन रिव्यू एंगेजमेन्ट्स (एसआरई) 2410 "इकाई के स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा की गई अंतरिम वित्तीय जानकारी की समीक्षा" के अनुसार वक्तव्य की अपनी समीक्षा की। इस मानक के लिए आवश्यक है कि हम मध्यम आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और समीक्षा करें कि क्या कथन भौतिक गलतबयानी से मुक्त है। अंतरिम वित्तीय जानकारी की समीक्षा में मुख्य रूप से वित्तीय और लेखांकन मामलों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों से पूछताछ करना और विश्लेषणात्मक और अन्य समीक्षा प्रक्रियाओं को लागू करना शामिल है। लेखापरीक्षा के

मानकों के अनुसार किए गए लेखापरीक्षा की तुलना में समीक्षा का दायरा काफी कम होता है और परिणामस्वरूप हमें यह आश्वासन प्राप्त करने में सक्षम नहीं किया जाता है कि हम उन सभी महत्वपूर्ण मामलों से अवगत होंगे जिन्हें लेखापरीक्षा में पहचाना जा सकता है। उसके अनुसार, हम लेखापरीक्षण का अभिमत व्यक्त नहीं करते।

4. उपरोक्त पैराग्राफ 3 में बताए अनुसार की गई हमारी समीक्षा के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का संलग्न विवरण, लागू भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट, जैसा कि संशोधित है, उसके तहत जारी प्रासंगिक नियमों और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, यथासंशोधित, के विनियम 33 और विनियम 52 के संदर्भ में प्रकटीकरण करने के लिए आवश्यक जानकारी का प्रकटीकरण नहीं किया गया है, जिसमें इसका प्रकटीकरण करने का तरीका या इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण शामिल है, को निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है।

अन्य मामले

5. हमने 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त तिमाही और 01 अप्रैल, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 की अवधि के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों की समीक्षा नहीं की। इन अंतरिम अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों की समीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंट की अन्य फर्मों द्वारा की गई है, जिन्होंने 30 जनवरी, 2023 की अपनी रिपोर्ट में 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त तिमाही और 01 अप्रैल, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 की अवधि के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों पर एक असंशोधित निष्कर्ष व्यक्त किया गया।

इस मामले के संबंध में इस वक्तव्य पर हमारा निष्कर्ष संशोधित नहीं है।

6. हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों लेखापरीक्षा नहीं की है। इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की अन्य फर्मों द्वारा किया गया है, जिन्होंने दिनांक 17 मई 2023 की अपनी रिपोर्ट में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों पर एक असंशोधित राय व्यक्त की है।

इस मामले के संबंध में इस वक्तव्य पर हमारा निष्कर्ष संशोधित नहीं है।

कृते मैसर्स कैलाश चंद जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
आईसीएआई फर्म पंजीकरण: 112318W

कृते मैसर्स एससीवी एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
आईसीएआई फर्म पंजीकरण:000235N/N500089

नाम-सौरभ चौहान
पदनाम: साझीदार
सदस्यता संख्या:167453
यूडीआईएन: 24167453BKBGQL4765

नाम - अभिनव खोसला
पदनाम: साझीदार
सदस्यता संख्या: 087010
यूडीआईएन: 24087010BKBOCP1018

स्थान: मुंबई
दिनांक: 23 जनवरी, 2024